चित्रकूट-पुलिस

(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे “मिशन शक्ति अभियान-4” के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/‘‘शक्ति दीदी’’ द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

“मिशन शक्ति अभियान-4” व ‘‘शक्ति दीदी’’ अभियान के तहत आज दिनांक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को “मिशन शक्ति” व ‘‘शक्ति दीदी’’ के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया । पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी ।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सोनू कुमार पुत्र फूलचन्द्र कुशवाहा निवासी खुटहा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 44 क्वार्टर देशी शराब एवं उ0नि0यूटी श्री कुवंर प्रखर सिंह एवं उनके हमराही द्वारा अभियुक्त संतोष कुमार पुत्र श्यामलाल निवासी रेहुना थाना कोतवाली बांदा जनपद बांदा को 27 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

71 क्वार्टर देशी शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री सत्यमपति त्रिपाठी

2. उ0नि0यूटी श्री कुवंर प्रखर सिंह

3.आरक्षी नरेन्द्र कुमार

4. आरक्षी विपिन

5. आरक्षी श्यामू

6. आरक्षी विवेक

(4). आज दिनाँक 11.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री गजबये आलम तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 450/2024 धारा 87/137(2) भादवि0 के वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र देवराज निवासी सिकरिया थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री गजबये आलम थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी राहुल देव

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर 01 परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका हीराकामिनी पत्नी रजोला निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि उसके पति रजोला प्रसाद पुत्र बलवन्ता निवासी रौली कल्याणपुर थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट द्वारा शराब पीकर मारपीट, लड़ाई झगड़ा कर प्रताड़ित करते है। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी, महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव, महिला आरक्षी मंजूलता द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में लड़ाई झगड़ा न करने तथा परिवारिक कर्तव्यों का पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गुड्डी देवी

2.महिला आरक्षी शिवांग्नी श्रीवास्तव

3.महिला आरक्षी मंजूलता

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 188/2024 धारा 354क भादवि0 7/8 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त सुनील कुमार निषाद पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी बौसड़ा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री इन्द्रजीत गौतम थाना कोतवाली कर्वी

2.आरक्षी प्रवीण पाण्डेय

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री विनोद कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन में निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 123/24 धारा 65(2) बीएनएस व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त रामकुमार उर्फ विट्टल रैदास पुत्र भइयालाल निवासी गोराहा पुरवा मजरा गढचपा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1.निरीक्षक अपराध श्री प्रभुनाथ यादव थाना मानिकपुर

1.उ0नि0 श्री उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी सरैया

2.आरक्षी मनोज कुमार

(9). श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन एवं मिशन शक्ति अभियान के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक बरगढ़ श्री राकेश मौर्य एवं पैरोकार आरक्षी हरेन्द्र तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रकाश यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना बरगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0 115/2019 धारा 363,366,376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के आरोपी अभियुक्त सरदारीलाल पुत्र रामगोविन्द निवासी ग्राम लपॉव थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 08 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>घटना का विवरणः-</u>

दिनाँक 21.12.2019 को वादी द्वारा थाना बरगढ़ में सूचना दी थी कि अभियुक्त सरदारीलाल उपरोक्त द्वारा उनकी नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाना तथा दुष्कर्म करना। इस सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 115/2019 धारा 363.366 भादवि0 बनाम सरदारीलाल उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री देवेन्द्र कुमार ओझा द्वारा की गयी थी दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गयी एवं अभियुक्त को दिनांक 25.12.2019 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा दिनाँक 19.01.2020 आरोपी के विरुद्ध आरोप-पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था।